

DHANBAD MUNICIPAL CORPORATION

झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम-2011 की धारा 152 (3) के अन्तर्गत स्वनिर्धारित किये गये सम्पत्ती कर की सूचना।

Memo No. : 167909160321060840


Date : 16-03-2021

वर्षावी : 4 2020-2021

श्री/श्रीमती/सुखी SUNITA KUMARI W/O KOUSHALENDRA KUMAR,
मोहल्ला BHELATAND DHANBAD DHANBAD
DHANBAD, 826001
766734898

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपका नया गृह सं. - 0220003895000MO वार्ड सं. 22 हुआ है, आपके स्व. निर्धारण घोषणा पत्र के आधार पर वार्षिक किराया मूल्य 0/- से निर्धारित किया गया है। इसके अनुसार प्रति तिमाही कर निम्न प्रकार होगा।

स्व-निर्धारित कर की सूचना		
क्रम सं.	Particulars	Amount (In Rs.)
1.	गृह कर	
2.	जल कर	212.00
3.	शौचालय कर	0.00
4.	बिजली कर	0.00
5.	अतिरिक्त गृह कर (वर्षा जल संरक्षण की व्यवस्था नहीं होने के कारण)	212.00
कुल राशि (प्रति तिमाही)		212.00



SUNITA KUMARI
To be signed by the Applicant

नोट:-

- कर निर्धारण की सूची, DHANBAD MUNICIPAL CORPORATION Website, suda.barkhand.gov.in पर पदक्षिप्त है।
- नियमावली कडिक 11.4 के आलोक में वर्षा जल संरक्षण की व्यवस्था नहीं होने के कारण अतिरिक्त गृह कर लगाया जाएगा जो सम्पत्ति कर का 50% होगा। फिटायर टै जाती है कि, वर्षा जल संरक्षण संरचना लगा कर निगम को सूचित करे तथा अतिरिक्त गृह कर से राहत पाये।
- प्रत्येक वित्तीय वर्ष में छत्रपति कर का भुगतान वैसासिक देय होगा।
- यदि किसी वर्ष के लिए सम्पूर्ण घृति कर का भुगतान वित्तीय वर्ष के 30 जून के पूर्व कर दिया जाता है, तो करदाता को 5% की रियायत दी जाएगी।
- किसी देय घृति को त्रिदिष्ट समयावधि (प्रत्येक तिमाही) के अन्दर या उसके पूर्व नहीं चुकाना जाता है, तो 1% प्रतिमाह की दर से संचारण ब्याज देय होगा।
- यह कर निर्धारण आपके स्व-निर्धारण एवं की गई घोषणा के आधार पर की जा रही है, इस स्व-निर्धारण स्व-घोषणा पत्र की स्थानीय जांच तथा समग्र निगम कर सकती है एवं तथ्य गलत पाए जाने पर नियमावली कडिक 13.2 के अनुसार निर्धारित सशक्ति (Fine) एवं अंतर राशि देय होगा।
- DHANBAD MUNICIPAL CORPORATION द्वारा संयोजित इस सम्पत्ति कर इन इमारती/घरों को कोई कानूनी हेतिसाध प्रदान नहीं करता है और/या न ही अपने मामलों/दखलबाद को कोई कानूनी अधिकार प्रदान करता है।
- अगर आपके नये होलिडिंग नम्बर का आखिरी अंक 5/6/7/8 है तो यह विशिष्ट संरचनाओं की श्रेणी के अन्तर्गत माना जाएगा।

NOTE : This is a Computer generated receipt. This receipt does not require physical signature.

Sunita Kumari